

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)

वादीगण
करण कुमार बोहरा पुत्र भंवरलाल जाति ब्राह्मण
निवासी भन्दर तहसील बाली वगैरा

बनाम

प्रतिवादी
राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. -2025/ 719
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
26 ¹¹ / ₂₅	<p>तहसीलदार बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पत्रावली पेश हुई। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार ग्राम भन्दर स्थित भूमि खसरा नंबर क्रमशः 1123, 594/4687, 991, 580, 581, 582, 583, 584, 585 कुल खसरा 9 व रकबा क्रमशः 0.30, 0.73, 0.34, 0.80, 0.31, 0.41, 0.03, 0.68, 0.45 हैक्टर कुल रकबा 4.05 हैक्टर किस्म चाही प्रथम, जाव अव्वल, जाव सोयम, चाही सोयम, गै.मु.बेरा व कुल लगान 68.41 रुपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हलका, भन्दर एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय के साथ तहसीलदार, बाली से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की प्रति रिकार्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम के लिये तहसीलदार, बाली को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p>	



सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

डिगरी बमुकदमें इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 6, 7 जाक्वा दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्‍नोई, आर.ए.एस.

वादीगण
करण कुमार बोहरा पुत्र भंवरलाल जाति ब्राह्मण
निवासी भन्दर तहसील बाली वगैरा

बनाम

प्रतिवादी
राजस्थान सरकार जरिये
(भूमिधारी) तहसीलदार बाली

किस्म मुकदमा राजस्व वाद GCMS NO. 2025/ 719
वाद अंतर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष पेरोकार सरकार मिनजानिब मुद्ई व मिनजानिव मुद्दयलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि पत्रावली व उपलब्ध रेकर्ड के अध्ययन के पश्चात तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन ग्राम भन्दर स्थित भूमि खसरा नंबर क्रमशः 1123, 594/4687, 991, 580, 581, 582, 583, 584, 585 कुल खसरा 9 व रकबा क्रमशः 0.30, 0.73, 0.34, 0.80, 0.31, 0.41, 0.03, 0.68, 0.45 हैक्टर कुल रकबा 4.05 हैक्टर किस्म चाही प्रथम, जाव अब्बल, जाव सोयम, चाही सोयम, गै.मु.बेरा व कुल लगान 68.41 रूपये के रिकार्ड ऑफ राईट्स जमाबंदी में वादीगण के रिकार्ड में दर्ज हिस्सा अनुसार मौके पर किये गये विभाजन के अनुरूप राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 53 के तहत विभाजन की डिक्री जारी की जाती है। पटवारी हल्का, भन्दर एवं तहसीलदार बाली द्वारा प्रस्तुत विभाजन रिपोर्ट मय नजरी नक्शा को निर्णय व डिक्री पर्चा का भाग माना जावे। इसी कदर डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा।



बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26-11-25 को जारी की गई।



3
(दिनेश विश्‍नोई)
सहायक कलक्टर एवं पदेन्
उपखण्ड अधिकारी, बाली

951 485/4852
954
953
955
934
932
930
929
926
995
996
995/4586
994
992
990
989
988
987
986
985

गामत अबर
प. 851/95 अबर
तह → बाली



- अक्षय कुमार
- अमरा कुमार
- अरुण कुमार ठाकुर

अक्षय कुमार
अमरा कुमार
अरुण कुमार




पहसीलवार (भू.अ.) बाली

पतिश नागदा

पटवारी (भू.अ.) अक्षय
तह - बाली, जिला - पाली (राज.)

उत्तर -> उत्तर
 प. म. र उत्तर
 न. म. र उत्तर



-  अलख कुमार
-  रमेश कुमार
-  कृष्ण कुमार

तहसीलदार (भू.अ.) बाली

पटवारी (भू.अ.) कृष्ण
 तह. - बाली, जिला - पाली (राज.)

